संचिका सं. :–03/न्या.-14-18/2018 –936 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक :– 2/4/2019

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश सं.–O.A. No.-606/2018, दिनांक–15.03.2019 के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन के तहत Sanitary Landfill विकसित करने हेतु सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि के अधिग्रहण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक–15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का क्रियान्वयन निर्धारित समय–सीमा में संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक–610, दिनांक–26.02.2019 द्वारा सभी नगर निकायों में Landfill Site विकसित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सरकारी भूमि चिन्हित करने का आदेश मुख्य सचिव के स्तर से दिया गया है। परन्तु कई नगर निकायों से सरकारी भूमि की उपलब्धता की सूचना अब तक अप्राप्त है (संलग्न सूची के अनुसार)। पुनः यह निदेश दिया जाता है कि सभी नगर निकायों में सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा राज्य के वैसे शहरी निकायों में, जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत Sanitary Landfill विकसित करने के लिए रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाये, जिसका मापदंड निम्न है :–

क्र.सं.	निकाय का प्रकार	अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण (एकड़ में)	शहर से मान्य दूरी	अभियुक्ति
1.	नगर निगम	10 एकड़	10 किमी. (Population less)	भूमि का प्रकार :– • रैयती भूमि
2.	नगर परिषद	05 एकड़	05 किमी. (Population less)	
3.	नगर पंचायत	2.5 एकड़	03 से 05 किमी. (Population less)	

रैयती भूमि चिन्हित करने के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के आलोक में भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुंओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अड्डे से 20 किमी. की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागर विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपत्तन/हवाई अड्डे से 10 और 20 किमी. की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है। तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि–भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि NGT द्वारा Sanitary Landfill विकसित करने के लिए 06 माह का समय–सीमा निर्धारित किया गया है एवं इस कार्य को आदेश आचार संहिता में भी क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन आयोग के पत्रांक–2265, दिनांक–29.03.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है (पत्र संलग्न)। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर भूअर्जन अधिनियम के आलोक में रैयती भूमि चिन्हित करते हुए संभावित राशि की गणना कर भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा भूमि की विवरणी के साथ गणना तालिका उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वास भाजन,

2/4/2019

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

पत्रांक–03/SBM–01–06/2019 6/0 न0वि0एवंआ0वि0

143

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–26/02/19

विषय :– Solid Waste Management, Rules, 2016 के प्रभावी अनुपालन हेतु प्रसंस्करण एवं Landfill site हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं०–1357 अ० दिनांक 08.04.2016 द्वारा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना में अपशिष्ट उत्पन्नकर्त्ताओं एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय के कर्त्तव्यों के साथ ही राज्य सरकार, जिला एवं स्थानीय निकायों के कर्त्तव्यों को भी निर्धारित किया गया है तथा नियम–22 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गयी है।

2. उक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुश्रवण माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के O.A. No. 606/2018 में दिनांक 16.01.2019 के आदेश में राज्यों एवं नगर निकायों के स्तर पर नियम का कार्यान्वयन नहीं होने को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। उक्त आदेश के तहत सभी राज्यों में सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट नियम तथा Plastic Waste Management Rules, Bio Medical Management Rules एवं संबंधित अन्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक समिति गठित की गयी है। उक्त समिति के अलावा राज्यों के मुख्य सचिवों को भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है और मुख्य सचिवों को निर्धारित तिथि को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। उसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी को भी दिनांक–15.03.2019 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष अनुपालन के साथ उपस्थित होना है।

3. बिहार राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति एवं रणनीति गठित की गयी है एवं विभागीय email द्वारा दिनांक--11.02.2019 को प्रेषित है। उक्त नीति एवं रणनीति के तहत केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण दोनों का विकल्प दिया गया है। कचरा के उत्पन्नकर्त्ता को अपशिष्ट को पृथक्कृत (segregate) कर अलग–अलग डिब्बों में भंडारित करने का दायित्व है तथा नगर निकायों को पृथक्कृत कचरा को collect कर प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन कर प्रसंस्करण का दायित्व है। बिहार राज्य की नीति के तहत सभी छोटे नगर निकायों में गीले कचरे को

कम्पोस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है तथा सूखे कचरा का भी reuse एवं recycle करने की व्यवस्था कबाड़ी के माध्यम से किया जाना है। उक्त प्रसंस्करण के बाद भी 15 से 20 प्रतिशत कचरा landfill site में जाना अवश्यंभावी है।

4. बिहार के कई नगर निकायों में प्रसंस्करण एवं landfill site दोनों के लिए समुचित भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित होना कठिन हो रहा है। अतः प्रसंस्करण एवं निबटान दोनों के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नीति अपनाई जाए:–

   i. नगर निकाय अपनी भूमि को प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराएगी।

   ii. नगर निकायों में भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नगर निकाय अपना आवश्यकता से संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी को अवगत कराएँगे, जो निकाय क्षेत्र में या उसके नजदीक प्राथमिकता के आधार पर सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन नगर निकाय को करेंगे ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। शहर के बाहरी भाग में सरकारी भूमि, पार्क आदि में भी प्राथमिकता के आधार पर भूमि दिया जा सकता है।

सामान्यतः ठोस कचड़ा प्रसंस्करण के लिए औसतन 2.5 से 3.0 कट्ठा भू–खण्ड स्थल की आवश्यकता होगी। जिससे नगर निगम क्षेत्र के तीन वार्ड नगर परिषद के चार वार्ड एवं नगर पंचायत के पांच वार्ड अच्छादित हो सकते हैं। यह प्रयास किया जाय कि विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए निकाय क्षेत्र में कम से कम 4–5 स्थानों पर उक्त आकार की भूमि उपलब्ध करायी जाय। Landfill site के लिए नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 10 एकड़, नगर परिषद के लिए 5 एकड़ एवं नगर पंचायत के लिए 2.5 एकड़ की सीमा के अंतर्गत भूमि की आवश्यकता होगी।

अतः अनुरोध है कि ठोस कचड़ा प्रबंधन के प्रसंस्करण एवं निबटान दोनों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता का अनुश्रवण कर लिया जाय तथा चिन्हित उपलब्ध भूमि संबंधित नगर निकायों को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

Dupak
25/2/19
(दीपक कुमार),
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक–03/SBM-01-06/2019 610 पटना/दिनांक–26/02/19

प्रतिलिपि :–नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदित किया जाय।

26/2/2019
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,